भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †2719

सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

जनजातीय पर्यटन विकास

†2719. श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि नासिक जिले में काफी जनजातीय आबादी है तथा प्राकृतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन की भारी संभावनाएं हैं, लेकिन स्थायी पर्यटन के माध्यम से जनजातीय समुदायों के लिए रोजगार पैदा करने हेतु संरचित पहल का अभाव है;

(ख) क्या सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों, विशेष रूप से इगतपुती और त्र्यंबकेश्वर के आसपास, स्थानीय आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए इको-पर्यटन, साहसिक पर्यटन और विरासत पर्यटन का कोई मूल्यांकन किया है, जिसे विकसित किया जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का एक समर्पित जनजातीय पर्यटन विकास योजना शुरू करने का इरादा है, जो इको-पर्यटन परियोजनाओं के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देने में मदद करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का जनजातीय पर्यटन परिपथ विकसित करने, होमस्टे को बढ़ावा देने और आर्थिक उत्थान के लिए जनजातीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक पर्यटन का समर्थन करने हेतु स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): जैसाकि जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, उसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत कार्यकारी समिति द्वारा यथा अनुमोदित राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर और इस परियोजना के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय में गठित परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा उनके मूल्यांकन और अनुमोदन के आधार पर अनुदान उपलब्ध कराने के लिए एक प्रावधान का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसके लिए निधियां महाराष्ट्र सहित उन राज्य सरकारों के अनुसूचित जनजाति के लोगों को उपलब्ध करायी जाती हैं, जो अधिसूचित हैं। यह भारत सरकार की ओर से 100% अनुदान है। इस कार्यक्रम के तहत निधियन का उद्देश्य राज्य को ऐसी योजनाओं के विकास की लागत को पूरा करने में सक्षम बनाना है, जो उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य द्वारा शुरू की जा सकती

हैं। सरकार ने देश भर में जनजातीय लोगों के समग्र विकास के लिए एक बहु-स्तरीय कार्यनीति अपनाई है, जिसमें अन्य विषयों के साथ-ही पर्यटन क्षेत्र भी शामिल है। वर्ष 2024-25 के दौरान, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने नासिक सहित 25 गांवों में "शबरी आदि-पर्यटन योजना (शबरी जनजातीय पर्यटन कार्यक्रम)" नामक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। पीएसी ने 1375.00 लाख रुपये की राशि के साथ इस परियोजना को वर्ष 2024-25 के लिए मंजूरी प्रदान की।

धार्मिक पर्यटन, इको-पर्यटन, साहसिक पर्यटन, जनजातीय और विरासत पर्यटन सहित पर्यटक गंतव्यों और उत्पादों का विकास एवं संवर्धन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय विभिन्न योजनाओं और पहलों के माध्यम से महाराष्ट्र में इको-पर्यटन, साहसिक पर्यटन और विरासत पर्यटन सहित देश के विभिन्न पर्यटन उत्पादों का विकास और संवर्धन करके राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रयासों को संपूरित करता है।

भारत को वैश्विक स्तर पर इको पर्यटन, साहसिक पर्यटन और सतत पर्यटन के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने हेतु पर्यटन मंत्रालय ने इको-पर्यटन, साहसिक पर्यटन और सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीतियां तैयार की हैं।

रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने 'प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान' के हिस्से के रूप में पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत जनजातीय होमस्टे विकसित करने की पहल को मंजूरी दे दी है। उक्त पहल में नए निर्माण के लिए प्रति इकाई 5.00 लाख रुपए तक की सहायता से 1000 होमस्टे का विकास, नवीकरण के लिए 3.00 लाख रुपए तक और ग्राम समुदाय की आवश्यकताओं के लिए 5.00 लाख रुपए तक की सहायता शामिल है।

पर्यटन मंत्रालय धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, विरासत पर्यटन, साहसिक पर्यटन और जनजातीय पर्यटन के विकास सहित पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए स्वदेश दर्शन और तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) की अपनी योजनाओं के तहत पर्यटन विकास के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

गंतव्य-केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाते हुए स्थायी एवं जिम्मेदारीयुक्त गंतव्य के विकास के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) के तौर पर नया रूप दिया गया है।

स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकास के लिए जनजातीय-परिपथ को एक थीम के रूप में चिह्नित किया गया। इन परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

पर्यटन मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए समय-समय पर प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। इन प्रस्तावों को निर्धारित प्रावधानों को पूर्ण करने एवं निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन परियोजनाओं का रूप दिया जाता है।

*****

अनुबंध

श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे द्वारा जनजातीय पर्यटन विकास के संबंध में दिनांक 17.03.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा के लिखित प्रश्न संख्या †2719 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में **विवरण**

स्वदेश दर्शन योजना की जनजातीय परिपथ थीम के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र**	**परिपथ/ स्वीकृति वर्ष**	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृत राशि (करोड़ रू. में)**
1.	छत्तीसगढ़	जनजातीय परिपथ 2015-16	जशपुर - कुनकुरी - मैनपाट - कमलेशपुर - महेशपुर - कुर्दर - सरोददर - गंगरेल - कोंडागांव - नथियानवागांव - जगदलपुर - चित्रकूट - तीर्थगढ़ का विकास	96.10
2.	नागालैंड	जनजातीय परिपथ 2015-16	जनजातीय परिपथ पेरेन - कोहिमा - वोखा का विकास	97.36
3.	नागालैंड	जनजातीय परिपथ 2016-17	मोकोकचुंग - तुएनसांग - मोन का विकास	98.14
4.	तेलंगाना	जनजातीय परिपथ 2016-17	मुलुगु - लक्नावरम - मेदावरम - तडवई - दमरवी - मल्लूर - बोगाथा झरने का विकास	79.87

*****